भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 586

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना

586 श्री राघव चड्ढा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सहित विभिन्न राज्यों में काफी बड़ी संख्या में अधीनस्थ न्यायालयों में उपयुक्त न्यायालय भवनों / कमरों और आवासीय क्वार्टरों सहित पर्याप्त अवसंरचना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार और तालुका-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) पंजाब में अधीनस्थ न्यायालयों में पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत कितनी निधि जारी की गई है ; और

(घ) निचली अदालतों को पेश आ रही अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकारों की मदद करने में सरकार को पेश आ रही बाधाओं और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित हैं। राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने विहित की गई निधि सहभाजन रीति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन किया है। स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक भवनों और आवासीय निवासों के संनिर्माण आते है। स्कीम 9000 करोड़ रु. जिसके अंतर्गत 5,307 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, की बजेटीय लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित की गई है। न्यायालय हालों और आवासीय कमरों के संनिर्माण के अतिरिक्त स्कीम में अब जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हाल, डिजिटल कम्प्यूटर कमरें और प्रसाधन परिसरों के संनिर्माण भी आते हैं ।

जैसा कि पहले ही कथित है कि स्कीम का उद्देश्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करना है । इस स्कीम में परियोजना-वार आवंटन नहीं किया गया है । तथापि, स्कीम के अधीन 9013 करोड़ रूपए की रकम (जिसमें पंजाब राज्य के लिए 571.07 करोड़ रूपए शामिल हैं) 1993-94 में स्कीम के प्रारंभ से जारी की गई । न्यायिक मानव शक्ति के मुकाबले न्यायिक अवसंरचना की राज्य-वार उपलब्धता **उपाबंध-1** में है ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार, 30.6.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के 600 न्यायिक अधिकारियों की कार्य शक्ति के मुकाबले 589 न्यायालय हॉल और 601 आवासीय इकाइयां उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास ॥ पोर्टल के अनुसार 30.06.2022 तक राज्य सरकार 72 न्यायालय हॉल और 36 आवासीय इकाइयों का निर्माण कर रही है ।

(घ) : राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अधीन निधियों को जारी करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् स्कीम के अधीन निधि जारी करने पर विचार किया जाता है, जैसे कि पिछले अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है ; विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की आवश्यकता को उपदर्शित करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ; सीएसएस निधियों को जारी करने के लिए संपूर्ण पुनरीक्षित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को पूरा कर लिया है, जिसमें एकल नोडल अभिकरण की घोषणा शामिल है, किसी विशिष्ट स्कीम के लिए एसएनए का एक समर्पित खाता खोलना, पीएफएमएस प्रणाली के लिए ऐसे खातों का प्रतिचित्रण, केन्द्रीय हिस्से की बकाया अतिशेष का अंतरण और राज्य के हिस्से का मिलान, यदि कोई हो, एसएनए खाता में उस पर ब्याज के साथ, कार्यान्वयन अभिकरणों के खाते खोलना, पीएफएमएस पोर्टल पर उनका प्रतिचित्रण और सभी संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति । चूंकि इस प्रक्रिया में राज्य कोषागार से कार्यान्वयन अभिकरण (अभिकरणों) तक निधि प्रवाह के उत्क्रम के संबंध में उपांतरण अंतर्वलित हैं, विभाग ने मूल आदेश तारीख 23.03.2021 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया और समय-समय पर जारी किए गए पश्चात्वर्ती स्पष्टीकरणों, सभी राज्य सरकारों को अपेक्षित उपांतरण करने के लिए संसूचित किया है । केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति के नियमित पुनर्विलोकन बैठक आयोजित करने के अतिरिक्त, सभी राज्यों के लाभ के लिए विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के पीएफएमएस सेल के समन्वय से राज्य सरकारों के लिए अनेक प्रशिक्षण भी संचालित किए गए हैं ।

उपाबंध -1

न्यायिक अवसंरचना के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 586 जिसका उत्तर 21.07.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	उपलब्ध न्यायालय हॉल	उपलब्ध आवासीय इकाइयां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	17	13	17	10
2	आंध्र प्रदेश	607	484	623	599
3	अरूणाचल प्रदेश	41	32	26	27
4	असम	484	427	401	355
5	बिहार	1954	1354	1559	1134
6	चंडीगढ़	30	30	31	30
7	छत्तीसगढ़	482	440	469	440
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	3	3
9	दमन और दीव	4	4	5	5
10	दिल्ली	884	685	597	348
11	गोवा	50	40	53	26
12	गुजरात	1523	1174	1504	1331
13	हरियाणा	772	472	558	556
14	हिमाचल प्रदेश	175	162	168	149
15	जम्मू-कश्मीर	314	236	194	119
16	झारखंड	675	583	644	578
17	कर्नाटक	1364	1071	1165	1120
18	केरल	569	478	534	519
19	लद्दाख	17	9	9	6
20	लक्षद्वीप	3	3	3	3
21	मध्य प्रदेश	2021	1540	1535	1632
22	महाराष्ट्र	2190	1940	2350	2055
23	मणिपुर	59	42	39	16
24	मेघालय	99	51	53	26
25	मिजोरम	65	41	42	37
26	नागालैंड	34	24	30	39
27	ओड़िशा	977	777	811	694
28	पुडुचरी	26	11	36	29
29	पंजाब	692	600	589	601
30	राजस्थान	1572	1265	1324	1111
31	सिक्किम	28	21	20	15
32	तमिलनाडु	1328	1076	1203	1329
33	तेलंगाना	512	412	514	480
34	त्रिपुरा	122	109	82	73
35	उत्तर प्रदेख	3634	2516	2730	2392
36	उत्तराखंड	299	271	236	194
37	पश्चिमी बंगाल	997	918	836	421
कुल		**24623**	**19313**	**20993**	**18502**

****